(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 34 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री निशांत शर्मा पुत्र श्री मदनगोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी महेन्द्रा वर्कशॉप के सामने, नारेडा रोड, शिवाजी कॉलोनी, बारां (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– वासुमति एजेन्सी, नामदेव भवन के सामने, शाहबाद रोड, बारां हाल निवासी महेन्द्रा वर्कशॉप के सामने, नारेडा रोड, शिवाजी कॉलोनी, बारां (राज.)
2. मैसर्स– वासुमति एजेन्सी, नामदेव भवन के सामने, शाहबाद रोड, बारां हाल निवासी महेन्द्रा वर्कशॉप के सामने, नारेडा रोड, शिवाजी कॉलोनी, बारां (राज.)
3. श्री प्रवीण कुमार नागर पुत्र श्री रामचंद्र नागर निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, खेड़लीगंज अटरू जिला बारां (मालिक) मैसर्स श्रीराम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 291, शॉपिंग सेन्टर, कोटा
4. मैसर्स श्रीराम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 291, शॉपिंग सेन्टर, कोटा
5. श्री कुणाल सिंह चौहान (नोमिनी एवं भागीदार) मै. सुन्दर फूड एण्ड डेयरी ग्राम ढोलखेडी विदिशा म.प्र. 464001
6. श्री कार्तिकेय सिंह चौहान (भागीदार) मैसर्स सुन्दर फूड एण्ड डेयरी ग्राम ढोलखेडी विदिशा म.प्र. 464001
7. श्री प्रेमकुमार शिवकुमार जायसवाल (भागीदार) मै. सुन्दर फूड एण्ड डेयरी ग्राम ढोलखेडी विदिशा म.प्र. 464001
8. श्री सुधीर हरयाल (भागीदार) मैसर्स सुन्दर फूड एण्ड डेयरी ग्राम ढोलखेडी विदिशा म.प्र. 464001
9. मैसर्स सुन्दर फूड एण्ड डेयरी ग्राम ढोलखेडी विदिशा म.प्र. 464001

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 52 एफएसएसएक्ट, 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 ता 4)
3– श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 5 ता 9)

निर्णय दिनांक 02.02.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.12.2022 को मैसर्स वासुमति एजेन्सी, नामदेव भवन के सामने, शाहबाद रोड, बारां हाल– महेन्द्रा वर्कशॉप के सामने, नारेडा रोड, बारां(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री निशांत शर्मा पुत्र श्री मदनगोपाल शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.07.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ–28)/नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक [illegible].02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **पनीर (Soft&Creamy) (Sudhamrit) 200 ग्राम के मूल पॉली पैक** फ्रिज में रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पनीर (Soft&Creamy) (Sudhamrit) 200 ग्राम के मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:01 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **पनीर (Soft&Creamy) (Sudhamrit) 200 ग्राम के 04 मूल पॉली पैक** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री निशांत शर्मा पुत्र श्री मदनगोपाल शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) को 260/— रूपये (अक्षरे दो सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पनीर (Soft&Creamy) (Sudhamrit) 200 ग्राम मूल पॉलीपैक** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.—1621 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग—अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.—1621 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री निशांत शर्मा पुत्र श्री मदनगोपाल शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/19 दिनांक 17.01.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1651/PHL/kota/Act/2023/1660 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर (Soft&Creamy) (Sudhamrit) 200 ग्राम मूल पॉलीपैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 14.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पनीर (Soft&Creamy) (Sudhamrit) 200 ग्राम मूल पॉलीपैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:01 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के अभिभाषक द्वारा दी बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 का विक्रय पूर्ण रूप से सही है। विक्रयकर्ता के द्वारा विक्रय किए गए उक्त उत्पाद के बिल वाउचर परिवाद के साथ प्रस्तुत नहीं है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 इस उत्पाद के निर्माता नहीं है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा उत्पाद जरिए बिल क्रय किया था, इस कारण इसकी जिम्मेदारी उत्पादनकर्ता की है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खिलाफ प्रस्तुत प्रकरण को निस्तारण करने की कृपा करें।

अप्रार्थी क्रम 5 ता 9 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 5 ता 9 के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, उस पर नियमानुसार मैन्युफैक्चरिंग डेट तथा एक्सपायरी डेट अंकित की जाती रही है। उक्त परिवाद के साथ ऐसा कोई पैकिंगशुदा पोलीपैक का रेपर नहीं लगाया गया है जिससे उक्त ब्राण्ड मिथ्याछाप का होना प्रमाणित होता है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम 5 ता 9 के खिलाफ प्रस्तुत प्रकरण को निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1651/PHL/kota/Act/2023/1660 दिनांक 28.12.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी कम 1 व 2 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर (Soft&Creamy) (Sudhamrit) 200 ग्राम मूल पॉलीपैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1651/PHL/kota/Act/2023/1660 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी कम 5 ता 9 को कुल जुर्माना राशि 48,000/– रूपये (अक्षरे अड़तालीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी कम 5 ता 9 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **02.02.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:01 IST
Reason: SelfAttested